(५)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/04/18	02–01–2018	04–06–2018

1–अमी चन्द यादव पुत्र श्री बदलूराम यादव जाति अहीर उम्र करीब 55 साल निवासी ग्राम कतोपुर (कुतुबपुर) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1– दयाराम यादव पुत्र श्री कन्हैयाराम यादव जाति अहीर उम्र करीब 66 साल निवासी ग्राम कतोपुर (कुतुबपुर) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
2–वीरसिंह यादव पुत्र श्री दयाराम यादव जाति अहीर उम्र करीब 46 साल निवासी ग्राम कतोपुर (कुतुबपुर) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
3– तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
4–भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक, भारतिय स्टेट बैंक, शाखा कोटकासिम जिला अलवर राज0
5–नेतराम यादव पुत्र श्री बदलूराम यादव जाति अहीर उम्र करीब 51 साल निवासी ग्राम कतोपुर (कुतुबपुर) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री विक्रमसिंह –वकील प्रार्थी
02. श्री जर्नादन शर्मा –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी दयाराम बनाम अमीचन्द व अमीचन्द बनाम दयाराम को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 08.05.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बअनुवानी प्रकरण अमीचन्द बनाम दयाराम व दयाराम बनाम अमीचन्द न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम अलवर में विचाराधीन हैं। दोनो वादो को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समेकित किया जाकर एक साथ सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थी को धमकाया जाता है कि क्षेत्रिय विधायक उनका खास आदमी है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से जुगाड़ बैठ गया हैं। दोनो वादो का फैसला अप्रार्थी दयाराम व वीरसिंह के हक मे ही होगा। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। दोनो प्रकरणों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के किसी भी क्षेत्रिय विधायक से कोई निजी संबंध नही है। समस्त तथ्य आधारहीन व साक्ष्यहीन अंकित किये है। हम अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई जान पहचान नही है ना ही हम पीठासीन अधिकारी से कभी मिले है। पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष है। मुकदमा मुन्तकिल किये जाने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है।

(5)

मुकदमा मुन्तकिल कराये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण साक्ष्य सहीत दर्ज नही किया है तथा आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पक्षकारान से पीठासीन अधिकारी का कोई सरोकार नही है। प्रकरण संख्या 154/16 अमीचन्द बनाम दयाराम एवं वाद 159/16 दयाराम बनाम अमीचन्द जो प्रकरा संख्या 154/16 के साथ समेकित है को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ती नही हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04–06–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/6/18

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)